

Corruption Act and Section 109 IPC. Some irregularities in the purchase of Quick Floe Polymix by Delhi Electric Supply Undertaking were also found by the Central Bureau of Investigation. No investigations have been conducted in other cases so far.

आपात स्थिति के दौरान आंध्र प्रदेश में व्यक्तियों को परेशान किया जाना

4211. श्री मीठालाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1977 के "ईकन हेरल्ड" में प्रकाशित श्री जी० सुन्दरैया के बक्तव्य की ओर दिनाया गया है जिसमें कहा गया है कि आपात स्थिति के दौरान आंध्र प्रदेश में लगभग 350 व्यक्तियों को मौत का शिकार होना पड़ा, और

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ग्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) . (क) जी हा श्रीमान् ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुमार आरोप निराधार है । आपातस्थिति के दौरान पुलिस और उग्रशक्तियों के बीच 30 सशस्त्र मूठभेडे हुई थी, जिनमें 34 उग्रपन्थी मारे गये थे । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक मेद्वानिवृत्त न्यायाधीश श्री बी० भागवत की अध्यक्षता में एक जांच आयोग ऐसे आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जा चुका है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती

4212. श्री रामजीलाल सुवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय इंजीनियरी सेवा आदि जैसी विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक-पृथक कितने प्रतिशत स्थानों का धारक्षण किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उक्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये और भर्ती किये गये कुल उम्मीदवारों में उनकी प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता से अनुसूचित जातियों के कम उम्मीदवार भर्ती किये गये हैं और यदि हां तो धारक्षण की प्रतिशतता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) : (क) तीन अखिल भारतीय सेवाओं, अर्थात् भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय नौ सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की प्रतिशतता सीधी भर्ती के पदों को क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत है । भारतीय इंजीनियरी सेवा का अभी तक गठन नहीं किया गया है ।

(ख) भर्ती काए गए व्यक्तियों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता :

वर्ष	का वर्ष	आ०प्र०से०		भा०पु०से०	भा० व० से०	
	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०
1974	21	10	15	7	5	3
	14.5	6.9	15.9	7.4	17.2	10.3
1975	19	12	12	6	6	4
	14.6	9.2	14.6	7.3	13	8.7
1976	21	6	17	9	9	5
	15	4.3	15.9	8.4	16.7	9.2

(ग) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में कोई कमी नहीं हुई है। उनके लिए रिक्तियाँ निर्धारित रोस्टर के आधार पर भारिजत की जाती हैं। किसी वर्ष विधेय में न बरी गई रिक्तियों को, यदि कोई हों, अग्रनीति किया जाता है और उन्हें बाद की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भर दिया जाता है।

Central Secretariat Canteens

4213. SHRI RAMJI LAL SUMAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the Departmental Canteens in the Central Secretariat are running at a loss despite subsidy and other facilities provided by the Government;

(b) how much subsidy has been given to each canteen during the last one year and which of them are running at a loss;

(c) whether Government propose to hand over these canteens to private contractors; and

(d) if not, what steps are taken by the Government to check malpractices and supply cheap, nutritious and better quality foodstuffs in these canteens?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH):
(a) No, Sir.

(b) The information is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. LT-776/].

(c) No, Sir

(d) A High Power Committee was set up to go into the details of the functioning of departmental/cooperative canteens functioning in Government offices. This Committee has recently submitted its report, which is under examination. With the implementation of the accepted recommendations of the High Power Committee, it is hoped that there will be substantial improvement in the working of the departmental/cooperative canteens.